तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज नरेशराम बनाम सरकार धारा 136 प्रकरण सख्या 68/2012	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
1.2014	राजस्व विविध प्रार्थना पत्र सख्या 68/2012 नरेशदान बनाम तहसीलदार लूणी अन्तर्गत धारा 136 भू.राजस्व अधिनियम रेकर्ड दुरस्ती हेतु प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र पेश किया गया जो दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस प्रेषित कर जॉच रिपोर्ट मंगवाई गई। बहस प्रार्थना पत्र पर सुनी गई। प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता अपने प्रार्थना पत्र मे तथ्यो को दोहराया गया। एवं सरहद मौजा ग्राम काकाणी तहसील लुणी के खसरा नम्बर 536 रकबा 15 बीधा बारानी चतुर्थ काबिल काश्त स्थित है भूमि वक्त सेटलमेट राजकीय सिवायचक भूमि थी जिसका वर्तमान मे राजस्व रेकर्ड मे इन्द्राज राजकीय भूमि सिवायचक काबिल काश्त कुल रकबा 107 बीधा 13 बिस्वा है। प्रार्थी के पिता के हक मे 15 बीधा मे खातेदारी दी हुई है। सन्न 1969 व 1970 से दरमियानी अवधि मे राज्य सरकार द्वारा पूराने काब्जे काश्त के आधार पर भूमि का आवटन भूमिहीन व्याक्तियो को किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया । जिसमे जोधपुर विकास प्राधिकारी के जवाव मे बताया गया कि समस्त सिवायचक भूमिया प्राधिकरण के क्षैत्राधिकार की भूमि है। जो कि वर्तमान मे ग्राम काकाणी के खसरा नम्बर 536 रकबा 107 बीधा 13 बिस्वा सिवायचक भूमि वर्तमान मे जोधपुर विकास प्राधिकरण की भूमि है बहस पर मनन किया गया। पत्रावली मे आए दस्तावेजो का अवलोकन किया। प्रकरण मे प्रार्थी ने खसरा नम्बर 536 रकबा 15 बीधा जो कि ग्राम काकाणी की भूमि की शुद्दि बाबत पेश किया गया जिसमे खसरा नम्बर 536 रकबा 15 बीधा भूमि मे आत्माराम पुत्र सोनाराम के नाम दर्ज करने की प्रार्थना की जबकि उक्त भूमि वर्तमान मे जोधपुर विकास प्राधिकारी के नाम से दर्ज है तथा जोधपुर विकास प्राधिकारी द्वारा प्रस्तुत जबाव एव तहसीलदार लूणी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी को उक्त खसरा की भूमि पर कब्जा काश्त नही है तथा गिरदावरी मे भी काश्त नही बताई गई है। इसके अलाव धारा 136 भू राजस्व अधिनियम किसी लिपीकीय त्रुटि को सहवन से रह गई है तो दुरस्त करने का प्रावधान है। परन्तु उक्त प्रकरण मे किसी लिपीकीय त्रुटि से सबधित नही है क्योकि भूमि राजकीय खाते एव वर्तमान मे जोधपुर विकास प्राधिकरण की नाम से है। तथा प्रार्थी उक्त भूमि मे 15 बीधा का खातेदार घोषित होकर राजस्व रेकर्ड मे नाम दर्ज करवाना चाहता है ऐसी स्थिति मे धारा 136 की समरी प्रोसिडिग द्वारा अनुतोष प्राप्त नही किया जा सकता है। इन तमाम परिस्थितियो मे प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 136 भू. राजस्व अधिनियम खारीज किया जाता है पत्रावली फैसल शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो।	

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी लूणी
(जोधपुर)